

FROM No.III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....

मुकाम.....

मोहम्मद खॉ

बनाम

मियल खॉ कोठा

किस्म मुकदमा.....

30 अप्रैल 111, 128

नं.

261

सन

2019

RLR Act-

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|--|---|
| 7.8.19 | <p>प्रार्थी/वादी/अपीलेंट के वकील श्री <u>यूनकिम</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>30/9/19</u> को पेश होकर</p> | |
| 30/09/19 | <p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्राथी/गो. प्र. नगरिम तामील प्राम तामील प्रामत/ इन्वजा/ शेडर पत्रावली दिनांक 30/09/19 को पेश की।</p> | <p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला - बाटोडा</p> |
| 30/10/19 | <p>पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय इस्करान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगार कार्य में व्यस्त है। निस्त इस्तबा होकर दिनांक 24/12/19 का पेश हो। 2</p> | |
| 24/12/19 | <p>पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय इस्करान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगार कार्य में व्यस्त है। निस्त इस्तबा होकर दिनांक 17/02/20 का पेश हो। 2</p> | |
| 17/02/20 | <p>पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय इस्करान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगार कार्य में व्यस्त है। निस्त इस्तबा होकर दिनांक 19/05/20 का पेश हो।</p> | |

हुक्म

19/05/2020

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय
रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधी
कारी दिगार कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल
इल्लवा होकर दिनांक 07/02/2020 का
पेश हो।

07/10/2020

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय
रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधी
कारी दिगार कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल
इल्लवा होकर दिनांक 15/03/2021 का
पेश हो।

15/03/2021

प्राची वकील उपस्थित/विप्राधीगण अनु/
श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पट रिक्त
होने से मिसल इल्लवा होकर आगामी
दिनांक 11/08/2021 को पेश हो।

11/08/2021

पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकन उपस्थित
पीठासीन अधीकारियों का पट रिक्त है
अतः पत्रावली आगामी दिनांक 06/10/2021
को पेश हो।

06/10/2021

प्राची वकील उपस्थित/विप्राधीगणों
के नोटिस तामिल शुद्ध प्राप्त जिसे शामिल
पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन
अधिकारी प्रशासन गणों के संग अखिराम-2021
केषों में अस्त होने से मिसल इल्लवा होकर
आगामी दिनांक 23/05/2022 को पेश हो।

23/05/2022

प्राची वकील उपस्थित/विप्राधीगणों के
नोटिस तामिल शुद्ध प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली
किया गया। विप्राधीगण वाकनूद तामिल अनुपस्थित/
आगामी सत्र तीस वार इल्लवा लगाई गई, अतिम
आगत 5-45 PM पर लगाई गई, विप्राधीगण स्वयं

3
सहायक कलक्टर (SDC)
वायतु
जिला - बाड़मेर

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

रख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मा इक्की डोर से कोरिडाइविता इपोरत
नही हुइला लिहला विप्रार्थीगणों के लिह
तेक तरफ कर्तवाही इगल मे लाई जाती है/
इति बाते बहस पत्रावली दिनांक
30/05/2022 को पेश हो / ३५

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

30/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों
के मोटिल तामील इदम तामिल प्राप्त / प्रार्थी
वकील कक्ष आइला करमा खाते है
पत्रावली इत्तरा होकर दिनांक 23/06/2022
को पेश हो / ३५

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाड़मेर

23/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण बावजुद तामिल
अनुपस्थित / प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के
अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के
खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों
के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो
वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी
एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा
विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की
सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी
आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार
किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का
नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क
जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,
दाखिल दफतर हो। ३५

सहायक कलक्टर (SDO)

बायतु
जिला - बाड़मेर

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाडमेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1051

दिनांक : 23/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मोहम्मदखा पुत्र रिडमलखा वगैरा 04,
जाति मुलसमान, निवासी फतेनगर,
पटवार मण्डल जाजवा,
तहसील गिड़ा (बाडमेर)

1. मीयलखा पुत्र अदरीमखा वगैरा 21,
जाति मुसलमान, निवासी फतेनगर,
पटवार मण्डल जाजवा,
तहसील गिड़ा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 261/2019

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - फतेनगर, पटवार मण्डल - जाजवा, तहसील - गिड़ा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 399/271 रकबा 72.00 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 1052 - 56

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का जाजवा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मोहम्मदखा पुत्र रिडमलखा वगैरा 04,
4. विप्रार्थी श्री मीयलखा पुत्र अदरीमखा वगैरा 21,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

सहायक कलेक्टर (SDO)

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 23/06/2022

सहायक कलेक्टर (SDO)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

जिला - बाडमेर